**फर्द अहकाम**

**अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर**

अनवान प्रहलादराम पुत्र उकराम बनाम अकाराम पुत्र किशनाराम वगैराह

किस्म मुकदमा राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम संख्या 1079 / 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | पत्रावली अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र किये जाने पर आज पेश हुई। अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा अन्य प्रार्थना पत्र बाबत विड्रोल करने अपील करने का पेश करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी अदालत हाजा के समक्ष विचाराधीन उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहता है। इसलिये उक्त अपील को जरिये विड्रोल खारिज करवाना चाहते है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को जरिये विड्राल खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।<br><br>अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का बगौर अवलोकन किया गया और उसमें अंकित तथ्यो पर गहनता से मनन व चिन्तन किया गया। ऐसे में अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.06.2026 को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना इस अपील को इसी स्तर पर निस्तारण करते हुए अपील जरिये विड्रोल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।<br><br>सम्भागीय आयुक्त<br>जोधपुर<br>संभागीय आयुक्त<br>जोधपुर | |

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर